संख्या– /VI/2017–22(12)/2013–टी0सी0–III

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग देहरादून : दिनांक : 01 अगस्त जुलाई, 2017

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–503/2013 "बाजपुर में 01 स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा " की पूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–668/बाज0स्टे0पत्रा0/2017–18, दिनांक 27 जुलाई, 2017 के कम में शासनादेश संख्या–287/VI-2/2015–22(12)/2013, दिनांक 28 मार्च, 2015, शासनादेश संख्या–489/VI-2/2015–22(12)/2013–टी0सी0–III, दिनांक 03 सितम्बर, 2015, शासनादेश संख्या–122/VI/2015–22(12)/2013 –टी0सी0–III, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या–647/VI/2016–22(12)/2013, दिनांक 16 अगस्त, 2016 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–503/2013 "बाजपुर में 01 स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा" हेतु प्रस्तुत आगणन ₹341.80 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा संस्तुत आगणन ₹ 336.99 लाख *(सिविल कार्यो हेतु ₹ 284.02 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹ 52.97 लाख)* की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **वित्तीय वर्ष 2014–15** में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 100.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2015–16 में द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 14.20 लाख, **वित्तीय वर्ष 2015–16** में तृतीय किश्त के रूप में ₹ 25.00 लाख एवं **वित्तीय वर्ष 2016–17** में चतुर्थ किश्त के रूप में ₹33.33 लाख के उपरान्त अवशेष बची धनराशि ₹164.46 लाख के सापेक्ष **वित्तीय वर्ष 2017–18** में ***पंचम किस्त के रूप में ₹100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र)*** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

7. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

9. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

10. उक्त व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–05–स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)–24–वृहत्त निर्माण कार्य मद** के पक्ष के नामें डाला जायेगा।

11. यह स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नक :–अलाटमेंट आई0डी0 संख्या–S1708110017 ,दिनांक : 01 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2017

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव (प्रभारी)।

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\August 2015\finance dec 2015\g.o.docx

पृष्ठांकन संख्या– 880 /VI/2017–22(12)/2013–टी0सी0–III, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. जिला क्रीड़ाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. परियोजना प्रबन्धक (कार्य0), ब्रिडकुल, ब्रिज रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, रौतेला कॉलोनी, छोटी मुखानी, पो0ओ0–बड़ी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल–263139
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य मोहन नौटियाल)

अपर सचिव।